न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
07 / 2025	2025/105	30.06.2025	29.07.2025

श्री देवीलाल पिता भाणजी निवासी चरी तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ राजस्थान उचित मुल्य दुकानदार चरी एफपीएस कोड 15353 लाईसेन्स नंबर 1640 / 2007

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

:— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक रसद / अभियोजन / 2025 / 500 दिनांक 17.06.2025

उपस्थिति :—

1. श्री कमल सिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

—: आदेश :— दिनांक 29.07.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से जिला रसद अधिकारी के आदेश कमांक : रसद / अभियोजन / 2025 / 500 दिनांक 17.06.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत चरी, पंचायत समिति धरियावद के उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र पर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राशन वितरण में अनियमितता किये जाने के आधार पर उचित मुल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर निरस्त कर दिया तथा अपीलान्ट के लाईसेन्स दिनांक 17.06.2025 को निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट के द्वारा व्यथित होकर निम्न प्रकार अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :—

1. यह कि जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण होना बताया है उक्त निरीक्षण अपीलान्ट की दुकान पर नहीं किया है एवं कोई जांच अधिकारी अपीलान्ट की दुकान पर नहीं आया है केवल अपीलान्ट से रंजिश रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा किये गये कथनों के आधार पर अपीलाट का लाईसेन्स निलम्बित किया गया गया है जो विधि विरूद्ध है।
2. यह कि अपीलार्थी को पूर्व में नोटिस प्राप्त हुआ था जिसका स्पष्टीकरण अपीलार्थी द्वारा विपक्षी को कर दिया था सभी शिकायतकर्ताओं की ओर से लिखकर दिया कि अपीलार्थी के पुत्र के बिमार होने से चिट्ठी देने के बाद गेहुं लेना शेष रह गये थे जो हमने प्राप्त कर लिये है और हम संतुष्ट है और जांच के दौरान अपीलार्थी का

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

पुत्र बिमारी से क्षतिग्रस्त था जिसके इलाज में अपीलार्थी व्यस्त था तथा कोटे के गेहुं गोदाम में ही रखे हुए थे तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बन के पश्चात अन्य राशन डीलर को समस्त बकाया 6480 किलो गेहुं व पाश मशीन सही व चालु हालत में सुपुर्द की गई है। अपीलार्थी आदिवासी क्षैत्र का गरीब परिवार का सदस्य है तथा ग्राम पंचायत के उपभोक्ता बाहर मजदुरी करते है जो समय पर राशन लेने नहीं आ सकते है और कई मर्तबा परिवार के बच्चे या अन्य बुजुर्ग लोग भी अंगुठा निशान पर रसीद प्राप्त कर लेते है और परिवार के व्यस्क सदस्य बाद में आकर गेहुं प्राप्त करते है। अपीलान्ट के द्वारा एक पत्र/नोटिस का जवाब भी विपक्षी को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर भी विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से गौर नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर जिला रसद अधिकारी के आदेश कमांक : रसद/अभियोग/2025/500 दिनांक 17.06.2025 को अपास्त कर प्राधिकार पत्र को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ को सूचना पत्र जारी किये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट कि ओर से पेरोकार सरकार रसद उपस्थित बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी एक सद्भाविक उचित मुल्य दुकानदार है उसके द्वारा दुकान संचालन में किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया गया है। वक्त निरीक्षण मूल स्टॉक में कम पाया गया गेहुँ अपीलार्थी के पुत्र की बिमारी के चलते अन्य स्थान पर सहवन से खाली किया हुआ था जिसे अपीलार्थी द्वारा वैकल्पिक दुकानदार श्री रतनलाल मीणा को सिपुर्द किया जा चुका है। अपीलार्थी के पास इस कार्य के अलावा अन्य कोई रोजगार नहीं होने से उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिलता का रूख अपनाया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

इसी प्रकरण में पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश एवं पारित निर्णय को समुचित बताते हुए निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा उचित मुल्य दुकान का संचालन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के तहत् अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने से विधिक आधारों पर निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेंमों जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के साथ–साथ पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का भी गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा वितरण में की जा रही अनियमिता आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं वितरण प्रणाली के विपरीत रही है। जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कोई त्रृटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य नहीं होने खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सरेइजलास सूनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया है।

(डॉ अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़